भारत सरकार

कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय

कृषि एवं किसान कल्याण विभाग

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न सं. 1315

03 दिसंबर, 2024 को उत्तरार्थ

विषय: जलवायु परिवर्तन के कारण किसानों के समक्ष चुनौतियाँ

1315. श्री कोडिकुन्नील सुरेशः

क्या **कृषि एवं किसान कल्याण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) क्या सरकार ने अप्रत्याशित मौसम पैटर्न और जलवायु परिवर्तन के कारण बाढ़ और सूखा-प्रवण क्षेत्रों में किसानों के सामने आने वाली चुनौतियों को पहचाना है;

(ख) यदि हां, तो सरकार ने जलवायु परिवर्तन के अनुकूल ढलने और फसल के नुकसान को कम करने में इन किसानों के समर्थन के लिए कौन सी विशिष्ट नीतियां और कार्यक्रम लागू किए हैं या लागू करने की योजना बना रही है;

(ग) क्या सरकार ने जलवायु परिवर्तनशीलता से प्रभावित सबसे कमजोर क्षेत्रों और फसलों की पहचान करने के लिए कोई आकलन या अध्ययन किया है;

(घ) इन जलवायु-लचीली कृषि पहलों के कार्यान्वयन के लिए अपेक्षित समय-सीमा कितनी है जिसमें उनके निष्पादन के लिए आवंटित कोई धन या संसाधन शामिल हैं;

(ङ) क्या सरकार ने जलवायु अनुकूल व्यावहारिक समाधान विकसित करने के लिए कृषि वैज्ञानिकों, पर्यावरण विशेषज्ञों और स्थानीय कृषकों की सेवाएं ली हैं; और

(च) किसानों / उन्नत फसल उत्पादकता, संवहनीय कृषि कार्यों/जलवायु परिवर्तन को देखते हुए खाद्य सुरक्षा में वृद्धि हेतु इन नीतियों के प्रत्याशित दीर्घकालिक लाभ क्या हैं?

उत्तर

कृषि एवं किसान कल्याण राज्य मंत्री (श्री भागीरथ चौधरी(

(क) से (च): जी हां, भारतीय कृषि, जलवायु परिवर्तन के प्रति संवेदनशील है और देश के प्रत्येक भाग में कृषि को प्रभावित करने वाली अत्यंत विषम मौसम की घटनाओं का सामना करना पड़ रहा है। वर्षा वितरण में परिवर्तन होने से अत्यंत विषम मौसम की घटनाओं जैसे सूखा और बाढ़ की बढ़ती घटनाओं के कारण कृषि प्रभावित हो रहा है। सरकार कृषि उत्पादकता पर जलवायु परिवर्तन के प्रभाव को कम करने और सतत पद्धतियों को सुनिश्चित करने के लिए राष्ट्रीय सतत कृषि मिशन (एनएमएसए) को कार्यान्वित कर रही है। एनएमएसए जलवायु परिवर्तन पर राष्ट्रीय कार्य योजना (एनएपीसीसी) के अंतर्गत मिशनों में से एक है जिसका उद्देश्य भारतीय कृषि को बदलती जलवायु के प्रति अधिक अनुकूल बनाने के लिए

कार्यनीतियों को विकसित और कार्यान्वित करना है। एनएमएसए के तहत, सूक्ष्म सिंचाई प्रौद्योगिकियों अर्थात ड्रिप और स्प्रिंकलर सिंचाई प्रणालियों के माध्यम से खेत स्तर पर जल उपयोग दक्षता बढ़ाने के लिए वर्ष 2015-16 के दौरान प्रति बूंद अधिक फसल (पीडीएमसी) स्कीम प्रारम्भ की गई थी। देश में वर्ष 2014-15 से राष्ट्रीय सतत कृषि मिशन (एनएमएसए) के तहत एक घटक के रूप में वर्षा सिंचित क्षेत्र विकास (आरएडी) योजना कार्यान्वित की जा रही है। वर्षा सिंचित क्षेत्र विकास उत्पादकता बढ़ाने और जलवायु परिवर्तनशीलता से जुड़े जोखिमों को कम करने के लिए एकीकृत कृषि प्रणाली (आईएफएस) पर ध्यान केंद्रित करता है। मृदा स्वास्थ्य कार्ड (एसएचसी) / मृदा स्वास्थ्य प्रबंधन (एसएचएम) योजना राष्ट्रीय मृदा स्वास्थ्य एवं उर्वरता प्रबंधन परियोजना के अंतर्गत राज्य सरकारों के माध्यम से संचालित की जाती है। योजना का मुख्य उद्देश्य मृदा स्वास्थ्य और इसकी उत्पादकता में सुधार के लिए जैविक खादों और जैव उर्वरकों के साथ द्वितीयक और सूक्ष्म पोषक तत्वों सहित रासायनिक उर्वरकों के विवेकपूर्ण उपयोग के माध्यम से समेकित पोषक तत्व प्रबंधन (आईएनएम) को बढ़ावा देने में राज्यों की सहायता करना है। मृदा स्वास्थ्य कार्ड किसानों को उनकी मृदा की पोषक तत्व स्थिति के बारे में जानकारी प्रदान करता है और मृदा स्वास्थ्य और इसकी उर्वरता में सुधार के लिए पोषक तत्वों की उचित खुराक पर सिफारिश करता है। इसके अलावा, सरकार वर्ष 2015-16 से परम्परागत कृषि विकास योजना (पीकेवीवाई) और पूर्वोत्तर जैविक मूल्य श्रृंखला विकास मिशन (एमओवीसीडीएनईआर) की योजनाओं के माध्यम से देश में जैविक खेती को बढ़ावा दे रही है। पीकेवीवाई को देश भर के पूर्वोत्तर (एनई) राज्यों के अलावा अन्य सभी राज्यों में कार्यान्वित किया जा रहा है, जबकि एमओवीसीडीएनईआर योजना विशेष रूप से पूर्वोत्तर राज्यों में कार्यान्वित की जा रही है। सरकार परंपरागत कृषि विकास योजना (पीकेवीवाई) के तहत भारतीय प्राकृतिक कृषि पद्धति (बीपीकेपी) नामक एक उप-स्कीम के माध्यम से वर्ष 2019-2020 से प्राकृतिक खेती को भी बढ़ावा दे रही है। इस स्कीम का उद्देश्य पारंपरिक स्वदेशी प्रथाओं को बढ़ावा देना और किसानों में जागरूकता पैदा करना है। समेकित बागवानी विकास मिशन (एमआईडीएच), कृषि वानिकी और राष्ट्रीय बांस मिशन का लक्ष्य भी कृषि में जलवायु अनुकूलता को बढ़ाना है।

भारत सरकार के कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय के तहत भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद (आईसीएआर) ने नेशनल इनोवेशन इन क्लाइमेट रेजिलिएंट एग्रीकल्चर (एनआईसीआरए) नामक एक प्रमुख नेटवर्क परियोजना शुरू की है। आईसीएआर केंद्रीय/राज्य कृषि विश्वविद्यालयों के समन्वय से इस परियोजना को कार्यान्वित कर रहा है। इस परियोजना का उद्देश्य फसलों, पशुधन, बागवानी और मात्स्यिकी सहित कृषि पर जलवायु परिवर्तन के प्रभाव का अध्ययन करना है। यह परियोजना कृषि में जलवायु अनुकूल प्रौद्योगिकियों का विकास और प्रचार भी करती है तथा सूखा, बाढ़, पाला, लू आदि जैसी चरम मौसमी परिस्थितियों से ग्रस्त जिलों और क्षेत्रों को ऐसी विषम परिस्थितियों से निपटने में मदद करती है। आईसीएआर की प्रमुख उपलब्धियाँ इस प्रकार हैं:

• पिछले 10 वर्षों (2014-2024) के दौरान, आईसीएआर द्वारा कुल 2593 किस्में जारी की गई हैं, इनमें से 2177 किस्में एक या अधिक जैविक और/या अजैविक तनावों के प्रति सहनशील पाई गई हैं।

• जलवायु परिवर्तन पर अंतर-सरकारी पैनल (आईपीसीसी) प्रोटोकॉल के अनुसार 651 मुख्य रूप से कृषि प्रधान जिलों के लिए जिला स्तर पर जलवायु परिवर्तन के लिए कृषि के जोखिम और भेद्यता का आकलन किया जाता है। कुल 109 जिलों को 'बहुत उच्च' और 201 जिलों को 'अत्यधिक' संवेदनशील के रूप में वर्गीकृत किया गया है।

• इन 651 जिलों के लिए जिला कृषि आकस्मिकता योजनाएँ (डीएसीपी) मौसम संबंधी असामान्यताओं जैसे सूखा, बाढ़, बेमौसम बारिश और चरम मौसम की घटनाओं जैसे गर्मी, शीत लहर, पाला, ओलावृष्टि, चक्रवात आदि के लिए तैयार की गई हैं और राज्य के कृषि विभागों और किसानों द्वारा उपयोग के लिए स्थान-विशिष्ट जलवायु अनुकूल फसलों और किस्मों और प्रबंधन पद्धतियों की सिफारिश की गई है।

• जलवायु परिवर्तन के प्रति किसानों की तन्यकता और अनुकूलन क्षमता को बढ़ाने के लिए, एनआईसीआरए के तहत “जलवायु तन्यक गांवों” (सीआरवी) की अवधारणा शुरू की गई है।

• जलवायु तन्यक प्रौद्योगिकियों को व्यापक रूप से अपनाने के लिए जलवायु परिवर्तन के विभिन्न पहलुओं पर किसानों को शिक्षित करने के लिए क्षमता निर्माण कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं। जलवायु तन्यक कृषि (सीआरए) प्रौद्योगिकी 28 राज्यों/केंद्र शासित प्रदेशों के 151 जिलों में 448 सीआरवी में कार्यान्वित की गई है।

*****